न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 20/2021

श्री रोहित साहू निवासी उत्तम विद्या मंदिर स्कूल के पास ग्राम व पोस्ट दूनी जिला टोक राज.

---अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक

---प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 22-7-2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 25-02-2021 प्रेषित/प्रस्तुत कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :-

1 जिला रसद अधिकारी कार्यालय, टोंक में कार्यरत प्रवर्तन निरीक्षक श्री सूरजभान सिंह द्वारा निजी व्यक्तियों एवं उचित मूल्य दुकानदार जो कि सरकारी कर्मचारी नही है, के वाट्स एप ग्रुप 'देवली डीलर्स एसोसिएशन' कुल 94 व्यक्ति जिसके एडमिन स्वयं सूरजभान सिंह है, में दिनांक 19.02.2021 को कई सरकारी कर्मचारियों की सूचियां डालकर 05:19 पी.एम. पर एक संदेश डाला गया कि '' सभी उचित मूल्य दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि व्हाट्सएप ग्रुप में एफीपएस वाइज सरकारी कर्मचारियों के लिस्ट ग्रुप मे डाली जा रही है अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि पीडीएफ में चाही गयी सभी सूचना भरकर आज शाम को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करे।'' उक्त संदेश के संदर्भ में सक्षम ऑथोरिटी द्वारा जारी सरकारी आदेश की प्रति उपलब्ध करवायें।

2 उचित मूल्य दुकानदार सरकारी कर्मचारी नही है। उचित मूल्य दुकानदार का मूल कार्य सरकार की तरफ से प्राप्त होने वाली राशन सामग्री का उचित मूल्य पर उपभोक्ताओं को वितरण करने का है, जिसके एवज में सरकार उनको कमीशन राशि देती है। यदि राजस्थान सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर/जिला कलेक्ट्रर्स/ जिला रसद अधिकारी उचित मूल्य दुकानदारों से सरकारी कर्मचारीयों की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए / सरकारी कर्मचारियों से वसूली करवानें का राजकार्य बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संदेश अनुसार करवाना चाहती है तो उसके संदर्भ में राज्य सरकार उनको इस राजकार्य के बदले में कितना मानदय दे रही है, सक्षम ऑथोरिटी द्वारा जारी सरकारी आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें।

3 श्रीमान जी, उक्त वाट्स एप ग्रुप 'देवली डीलर्स एसोसिएशन' [illegible] देवली में कार्यरत अनेकों सरकारी कर्मचारियों की सूची डाली गयी है जि[illegible] उनकी निजी जानकारियां है। उक्त सूचीयों में प्रार्थी का ना[illegible] है। प्रार्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा चयनित होने के पश्चात् दिनांक 23.03.2[illegible] से मंत्रालयिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:38 IST
Reason: SelfAttested

संवर्ग के अन्तर्गत, सरकारी कर्मचारी के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। सरकारी सेवा में पद प्राप्त करने के बाद राशन कार्ड संख्या 200000569289 के संदर्भ में संबंधित ग्राम पंचायत में सरकारी सेवा में चयनित होने की लिखित सूचना देकर नियमानुसार कार्यवाही करने एवं उक्त राशन कार्ड से नाम विलोपित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा एन.ओ.सी. जारी की गयी। उक्त आवेदन पर दिनांक 08 मई, 2018 को जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा राशन कार्ड यूनिट समर्पण/राशन निरस्तीकरण प्रमाण पत्र जारी किया गया। ''देवली डीलर्स एसोसिएशन'' ग्रुप में प्रवर्तन निरिक्षक श्री सूरजभान सिंह द्वारा प्रार्थी सरकारी कर्मचारी द्वारा 2020 तक कुल 4785 कि.ग्रा. गेहूं प्राप्त करना बताया गया है जिसकी सूचना पोश मशीन नम्बर 2899 के उचित मूल्य दुकानदार श्री रामकिशन मीणा निवासी नयागांव गोठडा को देकर राजस्थान सरकार के द्वारा जारी आदेशों अनुसार 27 रूपये प्रति कि.ग्रा. के हिसाब से 1,29,195 रूपये वसूली के बारे में अवगत करवाने एवं पी.डी.एफ. में चाही गयी अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित करने हेतु उनको प्रार्थी के पास भेजा गया। उक्त 4785 कि.ग्रा. गेहॅू प्रार्थी सरकारी कर्मचारी द्वारा कब–कब लिया गया है, उसकी सम्पूर्ण सूचना/ प्रमाणित सूची उपलब्ध करवायें।

4 राजस्थान सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा सन् 2019 एवं 2020 में सभी जिला कलेक्टर को एवं जिला कलेक्टर के द्वारा जिला रसद अधिकारी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्रता सूची में दर्ज परिवारों का सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त सत्यापन सूची में सरकारी कर्मचारी प्रार्थी श्री रोहित साहू का नाम जिस क्रम पर है, उसकी प्रामणित सूचना, उक्त सत्यापन जिस सक्षम ऑथोरिटी द्वारा किया गया है, उसकी प्रमाणित सूचना एवं उक्त सत्यापन के संदर्भ में स़क्षम ऑथारिटी द्वारा प्रार्थी सरकारी कर्मचारी के विरूद्व की गयी टिप्पणी/रिपोर्ट की प्रामाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें।

5 राजस्थान सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 2019 एवं 2020 में सभी जिला कलेक्टर को एवं जिला कलेक्टर के द्वारा जिला रसद अधिकारी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्रता सूची में दर्ज परिवारों का सत्यापन करवाने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त सत्यापन के लिए जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा अपनायी गयी सरकारी कार्यप्रणाली की बिन्दुवार सूचना एवं उक्त सत्यापन के लिए जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा जारी सरकारी आदेशो की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

6 राजस्थान सरकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 2019 एवं 2020 में सभी जिला कलेक्टर को एवं जिला कलेक्टर के द्वारा जिला रसद अधिकारी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्रता सूची में दर्ज परिवारों का सत्यापन करवाने के पश्चात् सरकारी कर्मचारियों से वसूली का निर्णय किया गया। उक्त वसूली के संदर्भ में जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा अपनायी गयी सरकारी कार्यप्रणाली एवं उसके संदर्भ में जारी सरकारी आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध करावें।

7 जिला रसद अधिकारी कार्यालय, टोंक [illegible] श्री सूरजभान सिंह द्वारा निजी व्यक्तियों एवं उचित मूल्य दुकानदा[illegible]स एप ग्रुप ''देवली डीलर्स एसोसिएशन'' में सरकारी कर्मचारि[illegible] की वसूली के संदर्भ में अनेकों सरकारी कर्मचारियों की सूचिय[illegible] 94 व्यक्ति है एवं उनमें से कई द्वारा आगे भी उक्त [illegible]की सूचियां फारवर्ड की गयी। बिन्दु संख्या 1 में वर्णित संदेशानुसार सोशल मीडिया/ वाट्स एप ग्रुप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:38 IST
Reason: SelfAttested

सरकारी कर्मचारियों की बिना प्रमाणित सूचियां सार्वजनिक करने या सोशल मीडिया में डालने के संदर्भ में सक्षम ऑथारिटी द्वारा जारी सरकारी आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, टोंक से आवेदक को सूचना नही दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी, टोंक द्वारा पत्र कमांक 1812 दिनांक 15-7-2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना के कम में अपीलार्थी को कार्यालय के पत्र कमांक 1168 दिनांक 30.04.2021 से द्वारा अवगत कराया गया कि चाही गई सूचना के सूचना के अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 के नियम 7(9) व 2(एफ) एवं 8(11) में विस्तृत एवं खोजबीन व व्यक्तिगत होने के कारण दिया जाना संभव नही है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवायी गई है।

हमने लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक से प्राप्त जवाब व पत्रावली का अध्ययन किया जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को उनके द्वारा चाही जा रही सूचना विस्तृत खोजबीन एंव व्यक्तिगत सूचना होने से दिया जाना संभव नही होना बता कर आवेदक को पत्र कमांक 1168 दिनांक 30-3-2021 से सूचित कर दिया गया था। किन्तु अपीलार्थी द्वारा जो स्वंय से सम्बन्धित सूचना चाही गई है वह भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपील अपीलान्ट अंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को स्वंय किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सुचित किया जावे एंव कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करवाकर उनसे सम्बन्धित सूचना जो कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध है तथा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय प्रति प्राप्ति के 20 दिवस में निशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:36:38 IST
Reason: SelfAttested